1. अध्याय

परिचय

1.1-परिचय

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

(बृहदारण्यक उपनिषद)

अर्थात सभी सुखी हो,सब निरोगी रहे, सब अच्छी घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी रहे और किसी को दु:ख का भागी ना बनना पड़ेl

इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की अवधारणा निम्नानुसार रही है-

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् |
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् |
(महोप़निषद अध्याय 4 श्लोक 71)

अर्थात यह अपना है वह पराया है ऐसी सोच छोटी चित्त वाले लोग रखते हैं, उधार मन वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार हैl

भारत में विकलांगता एक बहुत ही जटिल मुद्दा है; यह अन्य कठिन चुनौतियां जैसे कम साक्षरता और रोजगार दर, व्यापक सामाजिक कलंक और गरीबी के साथ अतिव्याप्त करता हैl औसत बच्चे की तुलना में विकलांग बच्चों के स्कूल से बाहर होने की संभावना 5 गुना अधिक होती हैl विकलांग वयस्कों के बेरोजगार होने की संभावना अधिक होती है, और विकलांग सदस्य वाले परिवार अक्सर औसत से भी बदतर होते हैंl प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

से, इन जटिलताओं का परिणाम यह हुआ है कि PWD भारतीय कार्यबल के 1% से भी कम हैं।

आदिकाल से ही विकलांग व्यक्तियों ने समाज के लिए व्यापक योगदान दिया है। यह योगदान अनेकानेक अवसरों पर इतना मूल्यवान रहा कि सामान्य व्यक्ति यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि यह लोग वास्तव में विकलांग थे या नहीं। निश्चय ही जब हम दीर्घतमा की वैदिक ऋचाएं, होमर की कविताएं और सूरदास के पद पढ़ते हैं, तो इन महा कवियों की नेत्र हीनता भूल जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम जॉन मिल्टन की कविताएं या बीथोवन का संगीत सुनते हैं, तो यह कतई याद नहीं रहता कि यह विभूतियां विकलांग थी।

अमेरिकी महिला हेलेन केलर, जो नेत्रहीन और श्रवणहीन दोनों थी, ने गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर की मधुर कविताओं का रसास्वादन करके दिखा दिया। गुरुदेव ने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनके गले पर केलर ने अपनी उंगलियां रखी और काव्य पाठ करने का अनुरोध किया।। निश्चय ही अद्भुत क्षमता थी उनमें।

लोगों में एक आम धारणा है कि भगवान यदि कुछ ले लेता है, तो बदले में कुछ असाधारण योग्यताएं देखकर क्षतिपूर्ति करता है। यदि यह बात सच होती, तो विश्व के 50-60 करोड़ विकलांग व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहे होते और अनेक प्रकार की यातनाएं नहीं भोग रहे होते। यह सत्य है कि आम विकलांग व्यक्ति अब तक पिछड़े हुए हैं।

अतः असत्य धारणाओं को छोड़कर इन विख्यात विकलांग विभूतियों के सफल जीवन वृत्त का अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ताकि यह मालूम हो सके कि इन्होंने किस प्रकार अपनी जीवटता, दृढ़ विश्वास और तीव्र बुद्धि से सफलता हासिल की।

विकलांग विभूतियों ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट झेले। स्वामी बीरजानंद नेत्रहीन होने के बाद अपने माता- पिता के देहांत के कारण अनाथ हो गए और उन्होंने भयंकर गरीबी का सामना किया। बीथोवन ने श्रवणहीनता के अलावा तमाम पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना किया। अनेक विकलांग व्यक्तियों ने तमाम सामाजिक और आर्थिक कष्ट झेले, जैसे भीमा भोई एक गरीब आदिवासी परिवार मे जन्मे, पर इन सब ने अपनी पीड़ा को कठोर इच्छाशक्ति के द्वारा पूंजी बनाते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए असाधारण कार्य किए।

1.1.1-प्राचीन काल

विकलांगता की समस्या लगभग उतनी ही प्राचीन है, जितनी मानव सभ्यता। आदिमानव जब वनों में रहता था और जानवरों के शिकार से अपना पेट भरता था, तब अक्सर ऐसा होता था कि कोई हिंसक पशु मनुष्य को इस कदर घायल कर देता था कि मनुष्य को आजीवन विकलांग हो जाना पड़ता। प्रकृति का प्रकोप कमोबेश उतना ही था, जितना आज है। मनुष्य गुफाओं में रहता था, जहां सुरक्षा अत्यल्प थी। जंगलों की आग व तूफान के थपेड़ों से मनुष्य को अक्सर सामना करना पड़ता था। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उसको विकलांग बना देने के कारण भी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए थे। प्रारंभ में मानव की संख्या कम थी।

साधन भी बहुत कम थे। हिंसक पशुओं का शिकार होने पर या किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा घायल होने पर मनुष्य के पास ना तो इलाज का कोई साधन था, ताकि होने वाली विकलांगता को रोका जा सके और ना ही विकलांग हो गए व्यक्तियों का भरण पोषण करने लायक जरिया था। कहते हैं, इससे पहले जानवर था, फिर धीरे-धीरे वह मनुष्य बना। आज हम देखते हैं कि जब कोई जानवर घायल हो जाता है और उसका अंग भंग हो जाता है, तो उसे खिसक- खिसक कर चलना पड़ता है। उनके लिए कोई अन्य जानवर भोजन लेकर

नहीं आता। मूक जानवर आम आदमी की जबान में अपनी करुणा व्यथा कह तो नहीं सकता, पर यदि हम ध्यान से देखें तो लंगडी गाय या कुत्ते की कठिनाइयों का कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। संभवतः प्राचीन काल में विकलांग व्यक्ति का लगभग ऐसा ही हाल रहा होगा।

धीरे-धीरे उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के प्रबंध करने आरंभ किए। उसने हथियार बनाए, ताकि जंगली जानवरों से ना सिर्फ सुरक्षा हासिल की जाए, वरन आसानी से उनका शिकार कर पेट भरा जा सके। मनुष्य की आबादी भी बड़ी, प्रसाधन उस रफ्तार से नहीं बड़े। जहां मनुष्य में समझ विकसित हुई, वही उनका अहम भी बड़ा। कभी साधनों के सीमित होने के कारण, तो कभी मात्र अहंग के कारण झगड़े प्रारंभ हुए। जिन हथियारों का विकास मानव ने अपनी सुरक्षा, विकलांगता रोकने और पेट भरने के लिए किया था, वे अब उन झगड़ों में इस्तेमाल होने लगे। विकलांगता को रोकने के लिए बनाए गए हथियार एक दूसरे को विकलांग बनाने में काम आने लगे। फलत: जहां आबादी बड़ी, साधन बड़े, वही विकलांगता भी बढ़ती गई।

मनुष्य जैसे-जैसे सभ्य होता गया वैसे वैसे वह संगठित होता गया। संगठन से मनुष्य की शक्ति बढ़ी। इससे जहां एक और सुरक्षा बढ़ी, वही साधनों का विकास तेजी से हुआ। इससे बढ़ते साधनों की सुरक्षा भी एक समस्या बन गई। संगठित मनुष्य ने पहले सशक्त दल बनाए, फिर शस्त्र- सज्जित सेना गठित करना प्रारंभ किया। जैसे-जैसे साधन बड़े, वैसे वैसे साधन एकत्रित करने की ललक भी बड़ी। साधनों को बढ़ाने की ललक मैं झगड़े और बड़े। संगठित मनुष्यों के झगड़े भी संगठित रूप से होने लगे। समूह में लड़ने वाले हथियारबंद मनुष्य ज्यादा तेजी से एक दूसरे को मारने और विकलांग बनाने लगे।

समूह में होने वाले झगड़ों ने युद्ध की शक्ल ले ली। युद्ध की नई कला का विकास होने लगा। किस प्रकार दूसरे को मारा जाए या घायल किया जाए, इसका बड़ी गहराई से चिंतन

किया जाने लगा। साधनों के विकास के साथ साधन संपन्न समाज का मुखिया अधिकाधिक शक्तिशाली होता चला गया। अन्य लोगों में उसके समान शक्तिशाली होने की ललक जगने लगी। उसके परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को मारने, घायल करने विकलांग बनाने लगे। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करने लगा। दूसरे पक्ष को कितना ज्यादा आहत किया जा सकता है, इसका लगातार प्रयास आरंभ हुआ। धीरे-धीरे युद्ध साधनों के लिए कम और मात्र अहं की संतुष्टि के लिए या चुनौतियों का उत्तर देने के लिए ज्यादा होने लगे। युद्ध जहां एक और जान माल का भारी विनाश करते थे, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मनुष्य को विकलांग बना देते। यदि हम प्राचीन काल के राज्यों और जीवन चरित्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, तो पाएंगे कि जितने साल वे जिए, उससे कई गुना युद्ध उन्होंने किए। निरंतर विकसित होती युद्ध कला और हथियारों की बढ़ती मारक क्षमता मनुष्य को लगातार विकलांग बनाती जा रही थी। अनेक राज्यों ने बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान चलाएं। सिकंदर यूनान से विश्व विजय अभियान पर निकला और भारत की सीमा तक आ पहुंचा। रास्ते में हुए अनेक युद्धों में कितने लोग मारे गए और कितने लोग विकलांग हुए, यह कोई नहीं बता सकता। जहां इतिहास पराक्रम विश्व विजेताओं की गाथा से भरा पड़ा है, वहीं यह भी सत्य है कि इन विजेताओं ने मानव की बहुत बड़ी त्रासदी विकलांगता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया।

बढ़ते युद्ध और अन्य कारणों ने विकलांगों की आबादी को तेजी से बढ़ाया। दूसरी और साधन सीमित थे। मनुष्य के दिल में इनके लिए जगह भी अत्यंत सीमित थी। फलतः यह लोग समाज पर बोझ माने जाने लगे। इनका भरण- पोषण कठिन होने लगा। इसका कष्ट देखा नहीं जाता था। अतः इनसे मुक्ति पाने के उपाय निकाले जाने लगे। प्राचीन काल में यूनान और स्पार्ट देशों में नेत्रहीन, अस्ति विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों को जबरन पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। स्पेन में कई ऐसे अंधे कुएं बनाए गए थे, जिनमें इन्हें डाल दिया जाता था। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके थे उनको

मुक्ति के लिए। तत्कालीन समाज उन्हें जीने का अधिकार नहीं देता था। यह मान्यता थी कि यह लोग यदि जिंदा रहेंगे, तो सीमित साधनों, अनाज, वस्त्र आदि का प्रयोग करेंगे, जिससे स्वस्थ शरीर वालों के लिए इनकी कमी हो जाएगी। तत्कालीन समाज के प्रमुख पेसों युद्ध, शिकार आदि में इनकी उपयोगिता नहीं थी। अभी माना जाता था कि यदि यह लोग शादी-विवाह करेंगे और आगे उनके संतान होगी, तो वह भी विकलांग होगी। जन्मांध और मंदबुद्धि लोगों के बारे में तो यह धरना काफी दिनों तक प्रबल रही। लोग अपनी जाति और वंश की शुद्धता बनाए रखना चाहते थे।

भारत में भी कुछ इसी प्रकार की मान्यताएं थी। विकलांगता को पूर्व जन्म के पापों का फल माना जाता था। शास्त्रों में इस बात का अनेक जगह जिक्र है कि पापी व्यक्ति को लोग कोड़ी हो जाने का शाप देते थे। जो व्यक्ति कोड़ी हो जाता, वह स्वयं भी अपने आप को पूर्व जन्म का पापी समझने लगता। अपने कष्ट को वह प्रश्चित समझकर भोगता रहता और स्वयं अपने कष्ट को कम करने या करवाने का प्रयास नहीं करता। शायद उसे लगता था कि यदि इस जन्म में वह अपने कष्टों को पूरी तरह भोग लेगा तो अगले जन्म में एक सामान्य व्यक्ति की तरह सुख भोग सकेगा। अहिंसा- प्रेमी माने जाने वाले भारत में विकलांगों को मार देने का रिवाज तो कभी नहीं रहा, पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में धृतराष्ट्र जेष्ठ पुत्र थे। मात्र नेत्रहीन होने के कारण उनका अधिकार छीन कर उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। जब पांडू की मृत्यु हो गई, तो कोई विकल्प ना होने पर ही धृतराष्ट्र राजा बन पाए। मानसिक रूप से विकलांग संतानों को परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था।

1.1.2- मध्यकाल

मध्यकालीन भारत में भी ऐसे ही विचारधारा रही जिसके प्रमाण तुलसीदास कृत" रामचरितमानस "नहीं मिलते हैं- यथा-

1) ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥

2) जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥7(ग)॥

3) पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥

उपरोक्त सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर यह तत्व दृष्टिगत होता है की संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ईश्वर की है उसमें किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या दुराग्रह ईश्वर को चुनौती देने के बराबर है। इस संसार में जो भी रचना है उन सब के साथ तारतम में बनाते हुए एक दूसरे की परिस्थितिकी तंत्र को संज्ञान से रखते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। ईश्वर की बगिया में तरह तरह के फूल है काला, सफेद, लाल, नीला तथापि रस भी विभिन्न है कटु, तीखा, आदि अर्थात सबका अपना अपना महत्व है, सभी का अस्तित्व रहना ही चाहिए।

इस देश में गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करने का रिवाज प्रारंभ से ही रहा है। पूर्व - त्योहारों की किसी भी काल में कमी नहीं रही। मंदिर निर्माण शासकों का शौक था और कर्तव्य भी। तीर्थस्थानों पुण्य स्थलों कि हमेशा से भरमार थी। जन विकलांगों का भरण- पोषण उनके परिवार जन नहीं कर पाते थे ,वह इन स्थानों पर भीख मांग कर गुजारा करते थे। त्योहारों पर उन्हें भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिल जाता और शेष दिनों में अन्य किसी प्रकार से उदरपूर्ति हो जाती थी। शायद यही कारण है कि जितना कष्ट होमर को यूनान में अपने पेट भरने में होता था उतना एक आम नेत्रहीन को भारत में नहीं हुआ। आम विकलांग व्यक्ति को भूख के कारण तड़प- तड़प कर नहीं मरना पड़ता था। हां, आम नागरिक की तरह सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनेक ऐसे विकलांग व्यक्ति हुए, जिन्होंने समाज में अपनी अच्छाइयों और श्रेष्ठ कार्यों के कारण जीवन के अंतिम चरण में आदर और उच्च स्थान पाया। शास्त्रों में नेत्रहीन विद्वान ऋषि दीर्घतमा का जिक्र है। ईशा पूर्व 1552 में मिस्र

में डिडमस विद्वान हुए, जिन्होंने अरबी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वी पूर्व नेत्रहीन उन्होंने लकड़ी पर खोद खोद कर अनेक किताबें लिखी। उनकी इस अद्भुत लाइब्रेरी की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। संभवत: यह नेत्रहीनों की प्रथम लाइब्रेरी थी। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होमर ने यूनान में अपनी मधुर काव्य रचनाएं वहां की जनता को अपनी मधुर कंठ से सुना कर उनका दिल जीता। इससे जीवन के अंतिम काल में होमर को सम्मान मिलने लगा।

इसके बाद भी नेत्रहीनों और अन्य विकलांगों के बारे में वहां जन मान्यता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। काफी समय बाद कुछ नेत्रहीनों को संगीत सुनने और समृद्धि व्यक्तियों का मनोरंजन करने के लिए रखा जाने लगा। भारत में भी सूरदास नामक नेत्रहीन विद्वान हुए, जिन्होंने काव्य की अद्भुत रचना की। उनकी रचनाएं पढ़कर लोग उनके जन्मांध होने पर प्रश्नचिन्ह लगाने लगे। अपने जीवन काल में सूरदास ने आम आदमी से लेकर सम्राट अकबर तक से सम्मान पाया। तैमूरलंग और राणा सांगा ने वीरता के द्वारा विकलांगता को परास्त कर दिखाया।

पर जहां एक और विकलांगता के बारे में लोगों की समझ बदल रही थी वही बारूद के अविष्कार और धीरे-धीरे उसके बढ़ते प्रयोग ने इस समस्या को और व्यापक बना दिया। बारूद का गोला जब फटता था, तब उसके बिखरे हुए टुकड़े अनेक लोगों को विकलांग बना देते थे। बारूद का इस्तेमाल युद्ध में बड़ी तोपों और फिर छोटी तोपों, बंदूकों, तमंचा के जरिए आसानी से होने लगा। पहले जो सेना ज्यादा शक्तिशाली होती और जिसके पास ज्यादा गोला-बारूद होता, वह ज्यादा लोगों को मारती थी और विकलांग बनाती थी। बारूद सुरंगों के आविष्कार के बाद हारने वाली सेना भागते समय भूमिगत बारूदी सुरंग बिछाने लगी, जिससे जीतने वाली सेना के तमाम सैनिक इसके शिकार होकर या तो मारे जाते या विकलांग हो जाते। इस तरह मानव सभ्यता और विकलांगता की समस्या के बीच लगातार

जंग छिड़ी रही। जैसे-जैसे मानव ज्यादा शब्द हुआ, वैसे वैसे विकलांगता की समस्या भी बढ़ती गई।

विकलांगता की समस्या को मानव के अलावा प्रकृत ने भी बढ़ावा दिया। प्रारंभ से ही प्रकृति के प्रकोप, जैसे बाढ़, तूफान, जंगल की आग आदि ने मनुष्य को विकलांग बनाना प्रारंभ कर दिया था। जैसे-जैसे आबादी बड़ी मनुष्य ने जंगल काट काट कर अपने लिए मकान और खेत बनाएं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। उसके प्रकोप में संख्यात्मक ही नहीं गुणात्मक वृद्धि होती रही।

बारूद के आविष्कार के साथ ही मनुष्य ने इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग कर बड़े-बड़े पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाएं। बिजली के अविष्कार के बाद मनुष्य ने नदियों की धारा रोककर इसका पानी इकट्ठा करके बांध बनाना प्रारंभ कर दिए। इससे भी प्रकृत का प्रकोप बढ़ा। मनुष्य ने अपनी बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया। प्रकृति अपने साथ होने वाली अन्याय का बदला नए-नए आपदाओं, बीमारियों के रूप में लेने लगी। फलत: विकलांगता की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली गई।

इस समस्या को और बढ़ाने मैं परमाणु शक्ति और अत्याधुनिक हथियार निर्माण तकनीकी ने तो योगदान किया ही, बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मनुष्य की औसत आयु भी बड़ी। इससे बूढ़ों की संख्या में वृद्धि हुई। इन वृद्धों में विकलांगों की संख्या भी बढ़ गई। इन वृद्धों में विकलांगों की संख्या भी बढ़ गई। संयुक्त परिवार की प्रथा टूटने के साथ वृद्धि विकलांगों की संख्या भी भीषण होती गई। आज बुजुर्गों को पूजने वाले भारत देश में भी वृद्ध आश्रमों और उन में निवास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

1.1.3- आधुनिक काल

आधुनिक भारत में धीरे-धीरे मनुष्य की मानसिकता बदलने लगी। धार्मिक गतिविधियां बढ़ने के साथ हर धर्म ने उसे गरीबों और असहाय की रक्षा और सहायता के

लिए प्रेरित किया। विकलांगों के लिए आश्रम बनाए जाने लगे। कई जगह ऐसे अस्पताल बने, जो विकलांगों का मुफ्त इलाज करते। यूरोप में सामाजिक पुनरुद्धार ने विकलांगों के बारे में जन धारणा बिल्कुल बदल दी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकलांगों को शिक्षा देने की आवश्यकता स्वीकारी जाने लगी। अनेक देशों में सामाजिक चिंतक विकलांगों को बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे थे। इसी दौरान फादर डीलिप ने बधिर की शिक्षा का काम प्रारंभ किया। वाशिंगटन स्थित ग्लेज कॉलेज में बधिर लोगों को इशारे से बात करना सिखाया जाने लगा। का पहला नेत्रहीन स्कूल 1784 में पेरिस में खुला भारत जो विकलांगों के मामले में पश्चिम से ज्यादा उदार था, अब 100 वर्ष पीछे हो गया। यहां 1885 में पहला बधिर विद्यालय मुंबई में और पहला नेत्रहीन विद्यालय 1887 मैं अमृतसर में खुला।

विकलांगों के लिए अब तक चलाए गए कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थानों की प्रमुख भूमिका रही। अनेक उत्कृष्ट संस्थाओं ने इस दिशा में मार्गदर्शक भूमिका अदा की। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर विकलांगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य प्रकार की सेवा देना प्रारंभ किया। इसके बाद इन मिशनरियों ने नेत्रहीनों अधीर के लिए विशेष विद्यालय चलाएं। बीसवीं शताब्दी में गांधीजी और सर्वोदय की विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ संस्थाओं ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। अब तक यह कार्य मात्र दया भावना से किया जाता था। इसकी प्रगति अत्यल्प और कहीं-कहीं ही थी। आजादी से पूर्व भारत में नेत्रहीनों के लिए 32 और बधिर के लिए 30 विद्यालय इन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे थे।

इन घटनाओं के साथ ही मनुष्य की समझ में परिवर्तन आने लगा। अब उन्हें समाज पर अनावश्यक भोज के बजाय कमजोर अंग समझा जाता। समाजवादी चिंतन के तहत यह सोचा गया कि यदि आबादी का यह हिस्सा ,जो हर देश में औसतन 8 से 10% से कम नहीं है, विकसित ना हो सकेगा, तो समाज का विकास बेमानी है। इसी बीच बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो विश्वयुद्ध हुए। यह युद्ध भयानक थे और विनाशकारी आधुनिक हथियारों से लड़े

गए थेl इसमें बड़े पैमाने पर लोग विकलांग हुएl क्योंकि यह विश्वयुद्ध लंबे समय तक चले, अतः सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए घायल और विकलांग सैनिकों के उपचार और पुनर्वास के लिए अनेक सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किएl इसके साथ ही विकलांगों के कल्याण का कार्य, जो अब तक सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं करती थी, सरकारी स्तर पर भी होने लगीl इस कार्य को करने के पीछे पहले मात्र पुण्य कमाने की भावना होती थी, अब जिम्मेदारी की भावना भी आ गईl संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के साथ इस कार्य ने, जो अब तक यत्र- तत्र छोटे बड़े पैमाने पर चल रहा था विश्वव्यापी रूप ले लियाl

हालांकि विभिन्न देशों की सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर विकलांगों की सेवा व सहायता कार्य प्रारंभ किए पर अभी भी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैl आज भारत में विकलांगों के लिए कार्य कर रही है 8000 संस्थाओं में उसे सरकारी क्षेत्र में मात्र 100 हैl अतः माना जा सकता है कि अधिकांश कार्य इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही किया जा रहा हैl

मुख्य तौर पर यह स्वयंसेवी संस्थाएं तीन प्रकार की है-

1. सेवा संस्थाएं

2. वकालत करने वाली संस्थाएं

3. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

सेवा संस्थाएं इस देश में काफी संख्या में है और इसमें से बहुत सी लंबे समय से काम कर रही हैl महावीर विकलांग समिति द्वारा किए गए कार्य, खासतौर से जयपुर फुट आदि किसी भी राष्ट्रीय संस्थान से कम नहीं हैl इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर द्वारा किया गया कार्य नेत्रहीनों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय संस्थान से कई मामले में बेहतर हैl

अनेक संस्थाएं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, सामूहिक आवास आदि बड़ी कुशलता से चला रही है।

वकालत करने वाली संस्थाओं ने सरकार पर दबाव डाले और समाज के अनुकूल वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खुद सेवा करके या सेवा करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद देकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं भी है, जो व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम संचालित कर रही है। यदि संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ. की तरह एक अलग प्रकल्प विकलांगों के लिए खोल दें, तो इस कार्य में वास्तविक गति आ जाएगी। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नेता पर बल देने में प्रमुख भूमिका अदा की है कि विकलांगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में विकलांगों को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। इससे ना सिर्फ काम होगा, वरन काम करते हुए विकलांगों को देखकर शेष विकलांगों का हौसला भी बढ़ेगा।यदि इस सिद्धांत पर वास्तविक अमल हर देश में हो जाए, तो विकलांगता की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

आज आर्थिक उदारीकरण का युग है। हर क्षेत्र में सरकार का दखल कम हो रहा है। यह प्रक्रिया कई सालों से अनेक देशों में चल रही है। इसमें अमीर देश और अमीर हुए तथा गरीब देश और गरीब हो गए। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पैसे वाले समाज के सभी संसाधनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उनका छोटे से छोटा दर्द ,जैसे बिजली का एक-दो दिन ना आना भी पूरी गंभीरता से लेते हैं, जबकि गरीब और मजलूम बड़ी से बड़ी यातनाएं खेलते हैं, तो उनकी सुनवाई बड़े बेकार ढंग से होती है। ऐसे में विकलांगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। आज गरीबों की तरह उनका शोषण स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है।

बढ़ते उदारीकरण, घटती सरकारी नौकरियां, निजीक्षेत्र में बढ़ती गला काट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विकलांगों के लिए रोजगार का कितना बुरा हाल होता जा रहा है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता हैl 1998 के उत्तरार्ध में एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन ने व्यापक सर्वेक्षण करायाl इसमें पाया गया कि विकासशील देशों में और खासतौर पर भारत में विकलांगों को नौकरी मिलना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा हैl पूरे विश्व में, खासतौर पर बड़े देशों में विकलांगों को विशेष रूप से तैयार की गई नौकरियों में रोजगार दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, लेकिन भारत में नौकरियों में विकलांगों का प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा हैlसर्वे के अनुसार 1981 में जब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया गया था, तो उस पर 12,500 विकलांगों को रोजगार दिया गया थाl उसके बाद 1995 में मात्र 3,700 लोगों को रोजगार दिया जा सकाl 1995 के बाद आंकड़े इस देश की सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैl विकलांगों की आबादी कुल आबादी के अनुरूप ही बढ़ती चली जा रही हैl 1994 में 340000 विकलांग व्यक्ति रोजगार केंद्र में पंजीकृत हुएl 1995 में इनकी तादाद में 13000 की वृद्धि और हो गईl दूसरी और 1994 के मुकाबले 1995 में विकलांगों को दी जाने वाली नौकरियों की संख्या में 700 की कमी आ गईl इस सर्विस में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की और बहुराष्ट्रीय कुल मिलाकर 100 प्रसिद्ध कंपनियों की रोजगार संबंधी प्रश्नावली के जरिए जानकारी दी गई थीl इसमें मात्र 61 कंपनियों में विकलांगों को रोजगार मिला थाl इन 61 कंपनियों में 625242 कर्मचारी हैं , पर उनमें मात्र 2190 कर्मचारी विकलांग पाए गए जो कुल रोजगार का मात्र 0.35% हैl

इससे भी दयनीय स्थिति 29 कंपनियों की है, जिसमें एक भी विकलांग कर्मचारी नहीं हैl इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी है, जिनमें 1977 से जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार और फिर 1995 में पारित किए गए विकलांग कानून के अनुसार कम से कम 3% कर्मचारी विकलांग होने चाहिएl

अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के बाद भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तादाद बढ़ती जा रही है, पर इन कंपनियों में विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत 0.05 से भी कम है अर्थात प्रति 10000 कर्मचारियों में मात्र 5 विकलांग हैl आश्चर्य की बात तो यह है की इन कंपनियों में जापानी मूल की है, जो जापान में निश्चित प्रतिशत कर्मचारी विकलांग रखती है, क्योंकि वहां इससे कम विकलांग कर्मचारी रखने पर जुर्माना लगता हैl दूसरी ओर कोटे से ज्यादा रखने पर अनुदान मिलता हैl

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) पहला वैधानिक निकाय था जिसने यह सुझाव दिया कि विकलांग बच्चों की शिक्षा ना केवल मानवीय अधिकार पर बल्कि उपयोगिता के आधार पर भी आयोजित की जानी चाहिएl आयोग ने पाया कि यद्यपि भारतीय संविधान ने विकलांग बच्चों सहित सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा के बारे में विशिष्ट निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस संबंध में बहुत कम किया गया थाl आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक अविभाज्य हिस्सा होना चाहिएl जिस समय आयोग ने अपनी सिफारिशें की, उस समय भारत में 250 से कम विशेष स्कूल थेl आयोग ने निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किएl 1986 तक लगभग 15% नेत्रहीन, बधिर और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और 5% मानसिक रूप से मंद के लिए शिक्षाl आयोग ने इस लक्ष्य को पूरा करने में एकीकृत शिक्षा के महत्व पर भी विशेष रूप से जोर दिया क्योंकि यह विकास में लागत प्रभावी और उपयोगी हैl

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC ,1974) सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 1974 में हल्के से मध्यम विकलांग छात्रों के नियमित स्कूल में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए IEDC कार्यक्रम शुरू कियाl पुस्तकालय, स्टेशनरी, परिवहन, विशेष उपकरण और सहायकों के लिए सहायताl इस कार्यक्रम को नियमित स्कूलों में लागू करने के लिए सरकारों को 50% होती सहायता प्रदान की गईl

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में, भारत सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की और विकलांग छात्रों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दियाl इसने इस बात पर जोर दिया कि जब भी संभव हो, नियमित स्कूल में मोटर विकलांग और अन्य हल्के विकलांग बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिएl इतनी विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों से निपटने के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी बल दियाl

विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा 1987 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से" विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा" शुरू कियाl परियोजना का उद्देश्य IEDC योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करना थाl

इसके तहत भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम1992, पुनर्वास सेवाओं के लिए मानव बल विकास का प्रयास ता हैl कानूनी फ्रेमवर्क के अलावा गहन संरचना का विकास किया गया हैl जिसके अंतर्गत 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं ,मानव बल के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैंl

इसके अतिरिक्त 5 संयुक्त पुनर्वास केंद्र, 4 पुनर्वास केंद्र तथा 120 विकलांग पुनर्वास केंद्र है जो लोगों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैंl

विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय अपंग तथा वित्तीय विकास निगम NHFDC राज्य की एजेंसियों द्वारा छूट के साथ ऋण मुहैया कराता रहा हैl

विकलांगों के कल्याण के लिए ग्रामीण स्तर, अंतर्भरती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान प्रयासरत हैl

भारत का संविधान नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह विकलांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता हैl हाल के वर्षों में समाज का नजरिया विकलांगों के प्रति तेजी से बदला हैl वह माना जाता है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्ता पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैंl

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित सभी छात्रों की कुल ड्रॉपआउट दर को कम करना, उनकी उपलब्धि के स्तर को बढ़ाना और बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना हैl विकलांगों के लिए फंडिंग की टीमों में केंद्र सरकार का यह संभवतः सबसे बड़ा कार्यक्रम हैl

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 : यद्यपि भारत सरकार ने एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्यार किए थे, लेकिन एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें दृढ़ प्रतिबद्धता का अभाव थाl इसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान को शैक्षिक अनिवार्यता के बजाए कल्याणकारी मुद्दा माना थाl PWD अधिनियम ने सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर शैक्षिक सेवाओं, चिकित्सा देखभाल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान का प्रस्ताव रखाl अधिनियम में कहा गया है कि जब भी संभव हो, विकलांग छात्रों को नियमित स्कूल सेटिंग में शिक्षित किया जाना चाहिएl

इसके अतिरिक्त ऑटिज्म, सेरीबल पाल्सी, मानसिक मंद बुद्धि व बहु विकलांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम1999 मैं चारों वर्गो के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सह स्भव वातावरण के निर्माण का प्रावधान किया गया हैl

सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावशाली माध्यम होता हैl संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, और विकलांग अधिनियम1995 के अनुच्छेद 26 मैं विकलांग बच्चों को18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया हैl जनगणना 2001 के मुताबिक देश में2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांगता के शिकार हैं जो कुल जनसंख्या का 2.13% हिस्सा हैl 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तथा 49% व्यक्ति साक्षर है तथा 34% रोजगार प्राप्त हैl

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बावजूद देश में आवश्यकता वाले लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है इन बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ी कि सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे विशेष आवश्यकता वाले लोग सभी की भांति हर कार्य कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंl इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना हैl

मेरा मानना है सरकार एवं संगठन चाहे जितना प्रयास करें एवं प्रावधान बनाए उपलब्धि के लिए सरकार एवं संगठनों के साथ हमें अपनी सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा जिसके लिए हम सबको ऋग्वेद के इस श्लोक को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा जो निम्नानुसार है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासते ।।

अर्थात हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक होl प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण हे वंदनीय हैl

1.2- समस्या का बयान/ शीर्षक

सुगम्य भारत अभियान "संभावना एवं चुनौतियां" - एक गहरी समीक्षा

1.3- अध्ययन की आवश्यकता

सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सामान्य धारा मे आने मे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण का पता लगाने के लिए मैं यह अध्ययन करने जा रही हूं।

1.4- शोध उद्देश्य

मेरे द्वारा किए जा रहे इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1.4.1-सुगम्य भारत अभियान का गहनता से अध्ययन करना।

1.4.2-सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को चिन्हित करना।

1.5-शोध प्रश्न

1.5.1-सुगम्य भारत अभियान में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है?

1.5.2-सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्य क्या थे। इन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया है?

1.5.3-सुगम्य भारत अभियान के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या है?

1.6-शोध विधि

इस शोध में गुणात्मक विधि का प्रयोग करके आंकड़ों को एकत्रित किया गया है जिसके लिए मुख्य रूप से अनुच्छेदों, पुस्तकों एवं ऑनलाइन स्त्रोतो जैसे द्वितीयक स्त्रोतो का उपयोग करके जानकारी एकत्रित की गई एवं ऑनलाइन स्त्रोत द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य से जानकारी एकत्रित की गई है।

द्वितीयक स्त्रोत

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/004908570203200409

https://yourstory.com/2019/12/inclusion-india-international-day-disabled-population/amp

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2017.1412506?journalCode=tied20

https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf

1.7-शीर्षक में प्रयुक्त पदों की परिभाषाएं

1.7.1- सुगम्य भारत अभियान: यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।

1.8- परिसीमन

यह अध्ययन सुगम्य भारत अभियान तक ही सीमित है

1.9-अध्यायीकरण

1- परिचय 2-साहित्य पुनरावलोकन 3-प्रदत्त विश्लेषण 4-उपसंघार